

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

SA/ACP

वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

कमांक : एफ4(26)साबीनि/लेखा/आंत.जांच/2016/

दिनांक

8/12/20

अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त
जिला कार्यालय।

विषय :- आंतरिक जांच प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 से 2014-15 के अदेय औषधि से एवं अनियमित भुगतान राशि की वसूली बाबत।

महोदय,

आपके कार्यालय में निम्न में से कोई कर्मचारी पदस्थापित है तो आंतरिक जांच प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 से 2014-15 में अदेय औषधियों एवं यात्रा भत्ता में अनियमित भुगतान की निम्न कर्मचारियों से वसूली की जानी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

| क. सं. | कर्मचारी का नाम | अदेय औषधियां | यात्रा भत्ता अनियमित भुगतान | कुल वसूली राशि |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | श्री हरिनारायण यादव क.लि. | 2546.51 | - | 2546.51 |
| 2 | श्री दीपक भार्गव क.लि. | 86.00 | - | 86.00 |
| 3 | श्री लक्ष्मीनारायण मीणा क.लि. | 205.72 | 140.00 | 345.72 |
| 4 | श्री भुवनेश शर्मा | - | 1530.00 | 1530.00 |
| 5 | श्री सोहनलाल भूपेरिया व.लि. | - | 300.00 | 300.00 |
| 6 | श्री रामलाल भम्भौरिया पर्यवेक्षक | - | 54.00 | 54.00 |
| 7 | श्री गोपालदास अग्रवाल क.लि. | - | 168.00 | 168.00 |

अनियमित वसूली से संबंधित कार्मिक को ऑडिट पैरा का अवलोकन करवाया जावे। पूर्व में यदि वसूली हो चुकी हो तो का विवरण भिजवाना सुनिश्चित करे।

सामान्य वित्तीय लेखा नियम 171 एवं 172 के अनुसार उक्त वसूली वेतन बिल से की जाकर इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि ऑडिट पैरा की पालना भिजवायी जा सके।

संलग्न :- परिशिष्ट

सुनील चन्द बंसल
अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर।

कमांक : एफ4(26)साबीनि/लेखा/आंत.जांच/2016/ 3602

दिनांक 8/12/20

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त निदेशक सिस्टम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।

सुनील चन्द बंसल
अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

अनुच्छेद संख्या 4 :- अदेय औषधियों की वसूली राशि

| क्र.सं. | बिल नं. एवं दि. | नाम कर्मचारी | अप्रतिपूर्ति योग्य दवा | राशि |
|---------|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------|
| 4.1 | 532/26.2.08 | श्री हरिनारायण यादव (क.लि.) | DISPOVAN | 3.00 |
| | | | DISPOVAN | 18.00 |
| | | | DISPOVAN | 5.00 |
| | | | TOTAL | 26.00 |
| 4.2 | 325/26.10.09 | श्री हरिनारायण यादव (क.लि.) | GLOVES NO. 7 | 60.00 |
| | | | TOTAL | 60.00 |
| 4.11 | 156/22.7.11 | श्री हरिनारायण यादव (व.लि.) | I.V. SET | 18.00 |
| | | | Medicath | 30.00 |
| | | | Dispovan | 15.00 |
| | | | Dispovan | 21.00 |
| | | | EME SET | 57.78 |
| | | | EME SET | 57.78 |
| | | | Nursing Charges | 680.00 |
| | | | Doctor Visit Fees | 300.00 |
| | | | 700-400 | |
| TOTAL | 1179.56 | | | |

4(4) बिल संख्या 156 दिनांक 22.07.2011 द्वारा श्री हरिनारायण यादव व.लि. कि कुल राशि रु. 3720/- की चिकित्सा जांचो का भुगतान किया गया है। अनुमोदित चिकित्सालय में करायी गयी जांच पर 70 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जा सकता है। अतः राशि रु. 3720/- पर 30 प्रतिशत राशि रु 1116/- का अधिक भुगतान किया गया है। अधिक भुगतान की राशि रु. 1116/- वसूली योग्य है।

4(5) बिल संख्या 156 दिनांक 22.07.2011 द्वारा श्री हरिनारायण यादव व.लि. की कुल दावा राशि 6949.07 में राशि रु. 1649.51 दवाईयों का पुनर्भरण किया गया है। अनुमोदित चिकित्सा व्यय में ईलाज कराने पर दवाईयों का 90प्रतिशत पुनर्भरण किया जा सकता है। अतः राशि य 1649.51 की 10प्रतिशत राशि रु. 164.95 वसूली योग्य है।
योग 2546.51

4(2) बिल सं. 322 दि. 22.10.2007 श्री दीपक भार्गव (मंजु भार्गव) ब्लड जांच रु. 285/- अस्पताल से बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लिये जांच प्राईवेट लेब से कराये जाने के कारण 70 प्रतिशत राशि ही देय है। अतः 30 प्रतिशत राशि रु. 86/- वसूली योग्य है।

| क्र.सं. | बिल नं. एवं दि. | नाम कर्मचारी | अप्रतिपूर्ति योग्य दवा | राशि |
|---------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| 4.6 | 230/7.8.08 | श्री लक्ष्मी नारायण मीणा (क.लि.) | B D SYRINGE | 13.52 |
| | | | MEDICATH | 11.10 |
| | | | KALTEX GLOVES | 30.00 |
| | | | BONE MERROW NEEDLE | 140.00 |
| | | | MEDICATH | 11.10 |
| | | | TOTAL | 205.72 |

अनुच्छेद संख्या 19:- यात्रा भत्ता बिलों में अनियमित भुगतान राशि

| क.सं. | बिल नं. एवं दि. | नाम कर्मचारी | विवरण | वसूली योग्य राशि |
|-------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| 19.2 | 69/3.6.11 | श्री लक्ष्मीनारायण मीणा यू.डी.सी मूल वेतन 13130/- | <p>(i) दिनांक 4.5.10 से 6.5.10 तक जयपुर से बाडमेर की यात्रा में दैनिक भत्ता 90/- देय है जबकि रू 110/- आहरित किया गया है। अतः रू 20/- वसूली योग्य है।</p> <p>(ii) दिनांक 16.6.10 से 18.6.10 तक जयपुर से जोधपुर की यात्रा में दैनिक भत्ता रू 90/- एवं मील भत्ता रू 50+40X2=180/- देय है जबकि विराम भत्ता रू 110/- तथा मील भत्ता रू 200/- आहरित किया है। अतः अंतर रू 40/- वसूली योग्य है।</p> <p>(iii) दिनांक 23.6.10 से 25.6.10 तक जयपुर से जोधपुर की यात्रा में दैनिक भत्ता रू 90/- एवं मील भत्ता रू 50+40X2=180/- देय है जबकि विराम भत्ता रू 110/- तथा मील भत्ता रू 200/- आहरित किया है। अतः अंतर रू 40/- वसूली योग्य है।</p> <p>(iv) दिनांक 8.7.10 से 10.7.10 तक जयपुर से जोधपुर की यात्रा में दैनिक भत्ता रू 90/- एवं मील भत्ता रू 50+40X2=180/- देय है जबकि विराम भत्ता रू 110/- तथा मील भत्ता रू 200/- आहरित किया है। अतः अंतर रू 40/- वसूली योग्य है।</p> | 20.00 40.00 40.00 40.00 |
| 19.3 | 69/3.6.11 | श्री भुवनेश शर्मा मूल वेतन 18280/- | <p>दिनांक 11.3.10 को स्थानान्तरण पर कोटा से जयपुर की गयी यात्रा पर मील भत्ता रू 90/- का भुगतान किया गया है जो देय नहीं है। अतः रू 90/- वसूली योग्य है।</p> <p>स्थानान्तरण पर लगेज भाडे की रसीद के अभाव में लगेज हेतु रू 1440/- का भुगतान अनियमित है। अतः 1440+90=1530/- वसूली योग्य है।</p> | 1530.00 |
| 19.11 | 301/3.10.13 | श्री सोहन लाल भूपरिया व.लि. मूलवेतन 17570/- | दिनांक 9.6.13 से 10.6.13 तक जयपुर से दिल्ली की यात्रा में टैक्सी से लघु | 300.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|----------------------------------|--|--------|
| | | सी श्रेणी | यात्रा के राशि रू 300/- का पुनर्भरण किया गया है। टैक्सी से लघु यात्रा अनुज्ञेय नहीं होने के कारण राशि रू 300/- वसूली योग्य है। | |
| 19.15 | 880/27.3.15 | श्री रामलाल भम्भौरिया पर्यवेक्षक | स्थानान्तरण पर भरतपुर से जयपुर की यात्रा में पत्नी श्रीमति राम देवी की किराया राशि रू 180/- आहरित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किराये में 30 प्रतिशत राशि की छूट देय होने के कारण किराया राशि रू 180/- का 30 प्रतिशत रू 54/- वसूली योग्य है। | 54.00 |
| 19.16 | 880/27.3.15 | श्री गोपाल दास अग्रवाल क.लि. | स्थानान्तरण पर धौलपुर से जयपुर की यात्रा में श्रीमती सुनीता (पत्नी) एवं कु. वैशाली (पुत्री) का किराया राशि 280/- प्रति टिकट की दर से रू 560/- आहरित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किराये में 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होने के कारण राशि रू 560/- का 30% राशि रू 168/- वसूली योग्य है। | 168.00 |